संख्या–1271 / II–2011–04(5) / 2008

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 13 जून, 2011

विषय : राज्य सैक्टर के अन्तर्गत निर्माणाधीन जल संवर्द्धन की योजनाओं हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–1604 / मु0अ0वि0 / बजट / बी–1 सामान्य, दिनांक 27.04.2011 व पत्रसंख्या–1794 / मुअवि / बजट / बी–1 सामान्य, दिनांक 10.05.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2011–12 में आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–20 में जल संवर्द्धन एवं संरक्षण मद अन्तर्गत निर्माणाधीन 03 सं0 योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 215.78 लाख (₹ दो करोड़ पन्द्रह लाख अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण **संलग्नक–1** में अंकित है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है व योजना निर्माणाधीन है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. स्वीकृति धनराशि का खण्डवार विभाजन / फॉट मुख्य अभियन्ता एवं उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान / परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के

क्रमशः...2

सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग / लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2012 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
12. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
13. भविष्य में अग्रेत्तर प्रस्ताव रखते समय बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(D)–4 में इंगित व्यवस्था की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–03–जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के लिए जलाशयों एवं कन्टूर ट्रैंच आदि का निर्माण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
15. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 184 / XXVII(2) / 2010, दिनांक 09 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1271(1) / II–2011–04(5) / 2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून / रूद्रप्रयाग।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्याः–1271/ II–2011–04(05)/2008 दिनांक 13/6/11 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	माह 3/2011 तक व्यय	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रस्तावित आंवटन
1	2	3	4	5	6
1	जनपद देहरादून के सहसपुर वि0ख0 के अन्तर्गत सेलाकुई में राजा रोड़ के समीप जल संरक्षण हेतु बहुददेशीय जलाशय निर्माण की योजना।	86.45	1.00	85.45	85.45
2	जनपद देहरादून के सहसपुर ब्लाक में घूमानगर नहर के अन्तर्गत रामसावाला में जलाशय निर्माण की योजना।	2.94	1.00	1.94	1.94
3	जनपद रूद्रप्रयाग के खांकरा गांव में दिल नदी पर जलाशय निर्माण योजना।	138.39	10.00	128.39	128.39
	कुल योग	227.78	12.00	215.78	215.78

(₹ दो करोड़ पन्द्रह लाख अठहत्तर हजार मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।